इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017—भाद्र 2, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. एफ 44-23-2015-बीस-2.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में:—

1. नियम 12 में, उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(8) (एक) समिति के पालकों या अभिभावकों में से निर्वाचित सदस्य/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को अशोभनीय व्यवहार, नैतिक पतन, कर्तव्य निष्पादन न करने, किसी अपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने की शिकायत पर जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब डिविजन अधिकारी द्वारा पद से हटा दिया जायेगा:

परन्तु उस सदस्य को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा.

(दो) समिति के अध्यक्ष को, जिले के राजस्व सब-डिविजन के सब-डिविजन अधिकारी द्वारा समिति की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने की शिकायत पर पद से हटा दिया जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष को सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जायेगा.

(तीन) सब-डिविजन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर कलेक्टर को अपील दाखिल कर सकेगा. कलेक्टर, यदि वह विलंब के कारणों से संतुष्ट है, अपील के आवेदन को प्रस्तुत करने में विलंब के लिए माफी दे सकेगा. कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा.".

2. नियम 18 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी:—

(क) नियमित आधार पर, बालक की समग्र गुणवत्ता निर्धारण प्रक्रिया की रूपरेखा बनाएगा तथा उसका क्रियान्वयन करेगा;

(ख) समस्त प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षा-वार, विषय-वार अधिगम परिणाम तैयार करेगा; तथा

(ग) परिभाषित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन को अमल में लाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा.".

No. F-44-23-2015-XX-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 12, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(8) (i) An elected member/vice-chairperson/chairperson from parents or guardians of the committee shall be removed from the office on complaint of his/her unbecoming behaviour, moral turpitude, non performance of duty, involvement in any criminal activity by the sub divisional officer of the revenue sub-division of the district:

Provided that the member shall not be removed from office without giving him/her reasonable opportunity of being heard.

(ii) Chairperson of the committee shall be removed from the office on complaint of his/her absence in two consecutive meeting of the committee by the Sub Divisional Officer of the revenue sub division of the district:

Provided that the chairperson shall not be removed from office without giving him/her reasonable opportunity of hearing.

(iii) The person aggrieved by the order of the Sub-Divisional Officer may file appeal to the Collector within 45 days from the date of such order. The Collector may condone delay in submitting the application of appeal if he/she is satisfied with the reasons of delay. The order of the Collector shall be final.".

2. In rule 18, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The academic authority referred to in sub-rule (1) shall :—

(a) design and implement a process of holistic quality assessment of child on a regular bases;

(b) prepare class-wise, subject-wise learning outcomes for all elementary classes; and

(c) prepare guidelines for putting into practice continuous and comprehensive evaluation, to achieve the defined learning outcomes.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.